

24-9-19

पत्रावली पेश हुई। अजादी के 7 व 8 के पत्रों पर प्रत्येक पर 33 किया जाता है। प्रिन्ट वाले आदेश जारी हुए दिनांक 3-10-19 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

3 10/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 22-10-19 को पेश है।

10 22-19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 03-11-19 को पेश है।

31-2-19

पत्रावली पेश हुई। अजादी के 4 व 5 के पत्रों को एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है प्रिन्ट वाले पत्र 33- हुए दिनांक 6-1-20 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

06 01/20

पत्रावली पेश हुई। मिन्ट वाले पत्र 22 हुए दिनांक - 04-02-20 को पेश है।

4-2-20

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर वकील पक्षकारों की शर्त सुनी गई। वकील पक्षकारों ने आपसी सहमति से प्रत्येक पर अस्पष्टी निषेधाज्ञा लकीकर किये जाने का विकल्प किया। वकील पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रत्येक पर अस्पष्टी निषेधाज्ञा लकीकर किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्पष्टी निषेधाज्ञा दिनांक 29-03-2016 को गार्डरूम दावा (confirm) जारी किया जाता है। पत्रावली केस शुरू हो कर गम्भीर है। कठ की जांच 33 तकनीक पत्रों वारकीक रूप है।

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

गोपाल शर्मा